CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE

RECOMMENDATIONS OF THE CEC IN APPLICATION NO. 1324 FILED BEFORE THE CEC BY THE PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT (PHED), GOVERNMENT OF RAJASTHAN SEEKING PERMISSION FOR THE USE OF 12.8 HECTARES OF LAND FALLING IN THE JAWAHAR SAGAR WILDLIFE SANCTUARY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CHAMBAL BHILWARA WATER SUPPLY PROJECT

Application No. 1324 has been filed before the CEC by the Public Health Engineering Department (PHED), Government of Rajasthan for seeking permission of this Hon'ble Court for the use of 12.8 hectares of land falling in the Jawahar Sagar Wildlife Sanctuary for the implementation of the Chambal-Bhilwara Water Supply Project. This Report is being filed by the CEC after examining the matter during the hearing held before the CEC on 19.1.2011 and 6.7.2011.

OBSERVATIONS AND REFOMMENDATION

2. The Public Health Engineering Department (PHED), Government of Rajasthan plans to undertake the Chambal-Bhilwara Water Supply Project for the supply of drinking water to nine towns and [illegible] villages of District Bhilwara. This is proposed to be done by lifting 317 million liters of water per day from River Chambal for the ultimate design year of 2029. The estimated cost of the project is Rs.13[illegible] crores. The project involves the use of 14.82 hectares of

area, falling within the Jawahar Sagar Wildlife Sanctuary in Tehsil Rawat Bhatta of District Chittorgarh, for the construction of the intake pumping station in Bhainsrodgarh near River Chambal and the laying of the underground pipeline of 2100 mm diameter over a distance of 16 kms. from the intake pumping station. An area of 2.00 hectares is required for the construction of the intake pumping station and the approach road while the remaining 14.8 hectares of land is required for the laying of the underground pipeline. Out of the 14.8 hectares area, required for the project within the Sanctuary, an area of 4.192 hectares is forest land while the remaining10.60 hectares is revenue land. The water will be lifted from the back water of Jawahar Sagar Reservoir which is in the Jawahar Sagar Wildlife Sanctuary. The underground pipeline will be laid along the right side of the shoulder of the Bhainsrodgarh to Bhunjar road. The project involves the felling of 6137 trees out of which 5136 trees are of juliflora species of less than 10 cm in diameter. The balance 1001 trees are of neem , desi babool, dhok, dhak, khair, kalam and other species. The specieswise and diameterwise abstract of the trees is given at **ANNEXURE R-1** to this Report. A copy of the affidavit dated 13th July 2011 filed before the CEC by the Executive Engineer, Project Chambal-Bhilwara along with the map showing the

location of the project and the project details is enclosed at **ANNEXURE R-2** to this Report.

3. The Applicant has stated that the District Bhilwara, with regard to the drinking water supply, is one of the worst affected districts of Rajasthan. The ground water quality in the district is poor because of the higher fluoride concentration coupled with the depletion of the water table to critical level because of exploitation for agricultural use. There is no dependable source of surface water in the District. In these circumstances the potable water is presently being transported through trains to Bhilwara town and a large number of habitations are also being supplied water through road transportation. The present project is expected to solve the drinking water supply problem of the urban and the rural areas of District Bhilwara. The Government of Rajasthan has sought World Bank funding for this project. However because of the delay in the approval and the signing of the loan agreement the Government of Rajasthan has decided to implement the transmission part of the project, estimated to cost Rs.720 crores, through State funds by taking loan from the NABARD and utilizing the funds available under the National Rural Drinking Water Supply Programme.

4. The project was considered by the Standing Committee of the National Board for Wildlife in its meeting held on 25th April, 2001 and has been recommended subject to the following conditions:

i) The user agency shall deposit 5% of the project cost for the better management of the sanctuary area.

ii) No labour camps will be established in the sanctuary for the project work.

iii) The project work, particularly the lopping and felling of the trees will be undertaken under the supervision of the officials of the Forest Department.

iv) At least two water points will be constructed in forest block Peermagra by user agency in consultation with DCF (Wildlife), Kota, to provide drinking water to wild animals. The regular water supply for the purpose will be made by the user agency free of cost 24 hours.

v) No blasting will be carried out in the sanctuary area.

vi) No disturbance / obstacle will be created to obstruct the movement of wildlife during the laying of the pipeline, and its maintenance.

vii) The State Government will ensure that the water would be used for the bonafide domestic use of the people, and will not be put to any commercial use.

A copy of the minutes of the meeting of the Standing Committee of the National Board for Wildlife is enclosed at **ANNEXURE--3** to this Report.

5, After considering that the project is in public interest, no viable alternative is feasible, the adverse impact of the project on the Wildlife Sanctuary is containable and that the project has been cleared by the Standing Committee of the National Board for Wildlife, it is recommended that this Hon'ble Court may consider permitting the use of the 14.8 hectares of the land falling in the Jawahar Sagar Wildlife Sanctuary in Tehsil Rawat Bhatta for the implementation of the Chambal-Bhilwara Water Supply Project subject to the following conditions:

i) For the use of the forest area approval under the FC Act will be obtained;

ii) 5% of the project cost will be deposited in the Compensatory Afforestation Fund for undertaking the conservation and the protection measures in the Sanctuary area; and

iii) the conditions on which the project has been cleared by the Standing Committee of the National Board for Wildlife will be strictly complied with.

This Hon'ble Court may please consider the above Report and may please pass appropriate orders in the matter.

(M. K. Jiwrajka)
Member Secretary

Dated: 2.11.2011

Technical Committee Meeting : 528/27.07.11

* SUMMARY RECORD OF DECISIONS *

***

The 528th meeting of the Technical Committee of Rajasthan Water Supply & Sewerage Management Board was held on 27.07.2011 wherein the following were present:-

1.	*Sh. **R.R. Meena**, Chief Engineer (Admn.) & TM, RWSSMB, PHED, Jaipur.*	*Chairman*
2.	*Sh. **Bhaskar Sharma**, FA&CAO, RWSSMB, Jaipur.*	*Member*
3.	*Sh. **Agam Mathur**, CE(SP), PHED, Jaipur.*	*Member*
4.	*Sh. **V.K. Mathur**, CE(R), PHED, Jaipur.*	*Member*
5.	*Sh. **D.M. Jain**, Secretary, RWSSMB, Jaipur*	*Member Secretary*

llowing were also present:-

1. Sh. D.R. Solanki, ACE(P), PHED, Ajmer.
2. Sh. G.L. Gupta, SE(MM), PHED, Jaipur.
3. Sh. H.S. Devenda, Sr. Chemist, PHED, Jaipur.

llowing decisions were taken:-

Agenda Item 1: Confirmation of minutes of TC 527 dated 19.07.2011.

Summary record of decisions of TC 527/19.07.2011 issued vide Secretary (Board) letter no. F.4( )/TC 527/RWSSMB/ 2010-11/2384-2411 dated 19.07.2011 were confirmed.

(Action by: CE(HQ)/Secy.(Board))

Agenda Item 2: Clarification in pipe policy rding the term lega Cities" for ection of pipes.

The agenda item was considered as per presentation made by Secretary (Board). During presentation, it was informed by him that as per information downloaded from website, a mega city is defined as a metropolitan area with a total population in excess of 10 million people and therefore, the same can not be considered as applicable for pipe policy of PHED Rajasthan as none of the city of Rajasthan state is having population to that extent. The agenda item was deliberated in detail and during deliberations, it was the view of the Committee that mega city may be considered as a town/city having population more than 5 lacs for pipe policy of PHED Rajasthan. After deliberations, it was decided to recommend to PPC to consider population of mega city as "more than 5 lacs" for the purpose of pipe policy of PHED Rajasthan.

Action by: CE(HQ)/Secy.(Board)

a Item No.3 [illegible] of the ransmission System of [illegible]-Bhilwara [illegible]

The agenda item was considered in light of the comments of TM and FA&CAO, RWSSMB, reply of observations submitted by CE(SP), PHED, Jaipur letter no. 1518-19 dated 25.07.11 and presentation made by ACE(P), PHED, Ajmer. During

be obtained from various agencies before taking up execution so that there occur no hindrance during execution on account of these.

- As transmission pipeline is adequate for flow requirement of year 2045, all civil structures on the pipeline shall be designed to suit hydraulics of design year 2045.
- Various type of valves i.e. sectionalizing valves, air valves, scour valves, non return valves etc. shall be provided on the transmission pipeline as per provisions of Water Supply Manual and guidelines issued by the department from time to time. These valves shall be of pressure class suiting to hydraulics of year 2045.
- Surge design of the transmission system shall be got done from IISC Banglore or any other reputed agency and surge protection devices shall be installed on the pipeline as per the design. Suitable provision for the same shall be included in the tender document of the work.
- Available residual pressures in the pipeline at various proposed outlets for cluster distribution system shall be considered while designing the cluster distribution system in future and as far as possible the same shall be fully utilized. Possibility of filling of maximum no. of OHSRs of cluster distribution system using the available residual head shall be worked out.
- Dovetailing of existing water supply system in the project area, to its maximum possible extent, shall be ensured while designing the packages of cluster distribution system.
- Financial sanction of the package shall be obtained from competent authority before taking up execution of the package.

(Action by: CE(SP)/ACE(P), Ajmer)

__enda Item__ nlistment / al of 'LUBI' ke 3-Phase rs in PHED Rajasthan.

The agenda item was deferred for further examination.

__enda Item__ resentation /S Rashmi Limited on DI Pipes

Presentation on detailed profile of Rashmi Metaliks Limited, a manufacturer of DI Pipes, was made by Shri Harsh Shukla, Shri Akashdeep Singh Chawala and Shri Bikraramjit Sengupta, representatives of the company before the members of Technical Committee and other officers of the department. During presentation, it was informed that the company is having BIS license for DI pipes of all classes K-7, K-8 and K-9 and for all sizes from DN 80 to DN 1000 and have ISO 9001:2008 for the "Quality Management System" for manufacturing of DI pipes. Having long term arrangement of Iron Ore with reputed mines to cater to the requirement of their DI pipe plant, facility of internal cement mortar lining

TC 528/27.07.2011

Annex.-1/AI-3/TC 528/27.07.2011

Technical Sanction
of
Transmission System of Chambal- Bhilwara Water Supply Project

General Abstract of Cost

S.N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at intake pumping station.	2345.14
2	Raw water Pumping Main from Intake to Bhunjar khurd and all allied works required for protection and efficient operation of system.	5565.16
3	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at Bhunjar khurd pumping station.	1888.47
4	Raw water Pumping Main from Bhunjar khurd to Tilsva IPS and all allied works required for protection and efficient operation of system.	6725.00
5	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at Tilsva pumping station.	1525.97
6	Raw water Pumping Main from Tilsva IPS to Rasadpura WTP and all allied works required for protection and efficient operation of system.	4162.15
7	245 MLD Capacity Water Treatment Plant & Clear Water Reservoir & Sump & Switchyard and other ancillary Civil Works. Campus Development and all allied works required for protection and efficient operation of plant & system at Rasadpura.	5935.92
8	Clear Water Transmission Main from WTP Rasadpura to Bhilwara Jn and all allied works required for protection and efficient operation of system.	18301.00
9	Clear Water Transmission Main from Bhilwara Jn to Kawa kheda, Vidhya Niketan, Sukhadia Circle and main PHED Head works and all allied works required for protection and efficient operation of system.	1242.54
10	Instrumentation for the system including providing the SCADA & PLC system.	700.00
11	Construction of service roads along different reaches of transmission mains	83.70
12	Power connection at Intake, Bhunjar khurd, Tilsva, Bhilwara Jn., Danta Pyara and Haripura Chauraha.	1471.43
13	Survey and consultancy work including design and preparation of Detail Feasibility Report for the 392 villages of the Asind and Mandal Tehsil of Bhilwara district.	125.00
14	Clear Water Transmission Main from Bhilwara Jn. To Danta Pyara to Mandal, Mandal to Haripur Chauraha and all allied works required for protection and efficient operation of system.	4284.71
15	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Bhilwara Jn.	638.25
16	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Danta Pyara.	385.34
17	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Haripur Chauraha.	311.21
18	Forest Wild Life Compensation and Land Acquisition	3395.00
	Sub Total	59085.99

नीति निर्धारण समिति बैठक क्र 181/24.08.2009
निर्णयों का सार संक्षेप

राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रवन्धन मण्डल, जयपुर की "नीति निर्धारण समिति" की 181वीं बैठक दिनांक 24.08.2009 को, प्रातः 11.30 पर, माननीय श्री महिपाल मदेरणा, मंत्री, राजस्थान-सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान की अध्यक्षता एवं माननीय श्री गुरमीतसिंह कुन्नर, राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की उपाध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भी भाग लिया :-

1.	श्री राम लुभाया, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	श्री यदुवेन्द्र माथुर, शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	श्री डी.के. जैन, उप शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4.	श्री प्रकाश टेकवानी विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-III) विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर.	सदस्य
5.	श्री देवेश भारद्वाज, तकनीकी सदस्य, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमति आर. भास्कर, वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अ., आरडब्ल्यूएसएसएमबी. जयपुर	सदस्य
7.	श्री एम.के.एम. जोशी, मुख्य अभियंता(मुख्यालय), जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर	सदस्य
8.	श्री आर.आर. मीणा, मुख्य अभियंता(ग्रामीण), जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर	सदस्य
9	श्री अगम माथुर, मुख्य अभियंता(विशेष परि.) जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर	सदस्य
10	श्री के.एम. माथुर, मुख्य अभियंता(परि.) जन स्वा.अभि.विभाग, जोधपुर	सदस्य
11	श्री पी.एल. सोलंकी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
12	श्री हेमन्त नारंग, सचिव, राज0 जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर	सचिव

निम्न अन्य अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे :-

1. श्री पी.सी. चौहान, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, कोटा
2. श्री डी.एम. जैन, अधीक्षण अभियंता (वस्तु-व्यवस्था) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
3. श्री एम.के. गोयल, अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, खण्ड बारां

एजेन्डा बिन्दु : 1
नीति निर्धारण समिति 180/13.10.08 के निर्णयों के सार संक्षेप की पुष्टि

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट एवं स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। सचिव, राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर द्वारा गत नीति निर्धारण समिति की स्वीकृत योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्रस्तुत की गई। मा. मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि गत बैठक में स्वीकृत प्रत्येक योजना की तकनीकी स्वीकृति बजट की

उपलब्धता, कार्यों की भौतिक स्थिति एवं योजनाओं को पूर्ण करने की सम्भावित अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजनाओं जिनपर कार्य चालू नहीं हुआ है, उनका विवरण, उनको चालू किये जाने की प्राथमिकता, योजना हेतु चालू एवं आगामी वित्त वर्ष में बजट की आवश्यकता इत्यादि का विवरण प्रस्तुत किया जावे। चर्चा के उपरान्त उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर ही, नीति निर्धारण समिति 180/13.10.2008 के निर्णयों की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाई सचिव(बोर्ड), तनत्त अति. मुख्य अभियन्ताओं द्वारा)

एजेन्डा बिन्दु : 2
पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय परियोजना, जोधपुर (2009-10) की प्रशासनिक स्वीकृति (अनुमानित-लागत रु. 549.55 करोड़)

एजेन्डा विन्दु पर मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर के प्रस्तुतीकरण, तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अ. की टिप्पणियों एवं पत्रावली पर मा. मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर विचार किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त पत्रावली पर जारी की गई उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति लागत 549.55 करोड़ रूपये की, समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ पुष्टि की गई :-

- परियोजना की विस्तृत अभियान्त्रिकी में परियोजना की आवश्यकता एवं औचित्य की विस्तार से व्याख्या की जावेगी। वर्तमान प्रारूप में प्रस्तावित ϐ24ग7 की विचारधाराϸ की इन तथ्यों पर पुनः समीक्षा की जावेगी कि समस्त कार्य पूर्ण करने के बाद भी हैड रीच के उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक पानी लेने की स्थिति में टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा? जिन कार्यो का सम्पादन फिजिवल/आवश्यक नहीं है उन्हें व अन्य कम महत्व के कार्यो को भी योजना से हटा दिया जावे।
- परियोजना से होने वाले लाभों (आउटपुट्स) का स्पष्ट व्याख्यान किया जावे।
- विद्युत ऊर्जा की बचत के कार्यो का आंकलन कर योजना में दर्शाया जावे एवम् समावेश किया जावे।
- परियोजना के कार्यो का क्रियान्वयन, कार्यो की आवश्यकता एवं उपलब्ध बजट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जावे।
- परियोजना के प्रस्ताव पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों को तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत अभियान्त्रिकी रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में रखा जावे एवम् सुझाव सम्मिलित किये जावें।
- परियोजना में टेल-एण्ड पर जो प्रेशर बताये है उन्हे क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करने के लिये भी एक कार्य योजना/दृष्टिकोण पेपर बनाकर, योजना में सम्मिलित किया जावे।

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की पत्रावली पर की गई स्वीकृति की भी समिति द्वारा पुष्टि की गई।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (परियोजना), जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 3
जोधपुर शहर में बढ़ते भूजल स्तर की समस्या के समाधान हेतु चार समस्याग्रस्त क्षेत्रों से भूजल निकालने की योजना (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनुमानित लागत रू. 12.21 करोड़).

एजेन्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर के प्रस्तुतीकरण, तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों एवं पत्रावली पर मा. मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर विचार किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त पत्रावली पर जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति लागत 12.21 करोड़ रूपये की राज्य आयोजना शहरी मद में समिति द्वारा पुष्टि की गई। मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर की मॉग एवं मुख्य अभियन्ता (मु.) द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की वित्तीय स्वीकृति भी जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (प), जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 4
शहरी जलप्रदाय योजना जोधपुर के पुनर्गठन की परियोजना के प्रथम चरण (तत्कालिक समाधान) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति. (अनुमानित लागत रू. 18.70 करोड़).

एजेन्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर के प्रस्तुतीकरण, तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों एवं पत्रावली पर मा. मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर विचार किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त पत्रावली पर जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लागत 18.70 करोड़ रूपये की समिति द्वारा पुष्टि की गई। परियोजना से होने वाले लाभों (आउटपुट्स) की पहले से ही स्पष्ट व्याख्यान किया जावे।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (प) जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 5
पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय परियोजना जोधपुर (2009-14) की वित्तीय स्वीकृति. (अनुमानित लागत रू. 105.35 करोड)

एजैन्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अभियन्ता, जोधपुर ने अवगत कराया कि योजना के अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन के उपरान्त जोधपुर नगर के 14 जोन में जल सप्लाई अन्तराल घटकर दैनिक होगा। विचार विमर्श के उपरान्त परियोजना की एजैन्डा बिन्दु नं. 2 पर लागत रू. 549.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध, सूरपुरा बांध को प्रयोग में लेने हेतु, प्रस्तावित 10 कार्यों की अनुमानित लागत 105.35 करोड़ रूपये (संलग्नक-क) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। योजना का व्यय राज्य आयोजना (शहरी) मद में किया जावेगा। अतिरिक्त बजट हेतु एक अलग से नोट बनाकर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके अनुमोदन उपरान्त ही कार्य चालू किया जावे।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (प) जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 6
पुनर्गठित जल प्रदाय परियोजना, जोधपुर शहर के लिये वर्तमान सूरपुरा डेम को रा-वाटर स्टोरेज टैंक के रूप में विकास के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनुमानित लागत रू. 79.46 करोड़)

एजैन्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त मूल परियोजना की अनुमानित लागत 549.55 करोड़ रूपये की. प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध, सूरपुरा बांध को रा-वाटर स्टोरेज टैंक के रूप में विकास के कार्य की अनुमानित लागत 79.46 करोड़ रूपये (संलग्नक-ख) की वित्तीय स्वीकृति जारी

140 66 151

करने का निर्णय लिया गया। योजना का व्यय राज्य आयोजना (शहरी) मद में किया जावेगा । उक्त कार्य जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के रूप में करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (प) जोधपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा विन्दु : 7</u>
शहरी जल प्रदाय योजना भीलवाड़ा के लिये ग्रीष्म आकस्मिक-कार्य योजना 2009 की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 9.85 करोड़)

एजैन्डा विन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों के आधार पर विचार विमर्श किया गया। शहरी जल प्रदाय योजना भीलवाड़ा की ग्रीष्म ऋतु 2009 में पेय जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये, ग्रीष्म आकस्मिक योजना (2009) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमानित लागत 9.85 करोड़ रूपये (संलग्नक-ग) की जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना का व्यय राज्य आयोजना (शहरी) मद में मुख्य अभियन्ता (मु.) द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट से किया जायेगा।

(कार्रवाई अति. मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा)

<u>एजेण्डा विन्दु : 8</u>
चम्बल-सवाईमाधोपुर- नादौती परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर इनटेक-वैल के निर्माण के लिये पर्यावरण क्लीयरेन्स हेतु रू. 24.54 करोड़ जमा करवाने का अनुमोदन.

एजैन्डा विन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों एवं मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) के प्रस्तुतीकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया। चूंकि परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी में इन्टेक-वैल निर्माण के लिये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, पर्यावरण क्लियरेन्स (वन्य जीव) के लिये आदेशित राशि जमा करवाना अनिवार्य है, अतः तद्नुसार उक्त राशि रू. 24.54 करोड़ विभाग द्वारा जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत परियोजना के वजट 2009-10 के अलावा न्यू कम्पोनैन्ट के रूप में वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवा कर किया जावे। पूर्ण परियोजना की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाकर, 2 माह में प्रस्तुत किये जावें।

(कार्रवाई अति. मुख्य अभियन्ता (परि.) भरतपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा विन्दु : 9</u>
पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना, मांगरोल (जिला बारां) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 14.17 करोड़)

एजैन्डा विन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों तथा पत्रावली पर दी गई स्वीकृति के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त योजना की संशोधित लागत 15.24 करोड़ रूपये (संलग्नक-घ) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना का कार्य एकल दायित्व अनुबन्ध के आधार पर सम्पादित किया जावे।

(कार्रवाई अति. मुख्य अभियन्ता कोटा द्वारा)

<u>एजेण्डा विन्दु : 10</u>
[illegible] जिले के [illegible] एवं [illegible] जिले के लिये [illegible]

एजैन्डा विन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों, मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) के प्रस्तुतीकरण एवं

पेयजल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति (अनु. लागत रू. 1020.00 करोड़)

पत्रावली पर मा. मंत्री महोदय द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति, अनुमानित लागत 1020.00 करोड़ रूपये की जारी करने का निर्णय लिया गया। परियोजना के लिये वित्त व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव को प्रेषित किये जाने के लिये दी गई अनुमति की भी, समिति द्वारा पुष्टि की गई।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (वि. परि.) द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 11</u>
शहरी जलप्रदाय योजना टौंक को बीसलपुर-टूटू जलप्रदाय परियोजना के नाथड़ी हैड वर्क्स से संवधन की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति (अनु. लागत रू. 12.44 करोड़)

एजैन्डा बिन्दु पर, मुख्य अभियन्ता (मु.), तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों के आधार पर विचार विमर्श किया गया। आगामी ग्रीष्म 2010 में टौंक शहर की सम्भावित पेयजल समस्या एवं वीसलपुर बॉध में इस वर्ष बहुत कम पानी आने को दृष्टिगत रखते हुये, योजना को अनुमानित लागत 12.44 करोड़ रूपये (संलग्नक-च) की प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना का व्यय राज्य आयोजना (शहरी) मद के अन्तर्गत किये जाने एवं योजना को ‘आकस्मिक योजना, 2009’ के द्वितीय चरण में सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 12</u>
जिला पाली के जवाई डैम आधारित पेयजल योजनाओं हेतु आकस्मिक कन्टीजेन्सी कार्य 2009 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 16.20 करोड़).

एजैन्डा बिन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त उक्त प्रस्ताव की अनुमानित लागत 16.20 करोड़ रूपये (संलग्नक-छ) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यक बजट की व्यवस्था राज्य आयोजना (शहरी) एवं ग्रामीण के मदों के तहत मु.अ. द्वारा किया जावेगा एवं खर्च आवंटित बजट के तहत ही किया जावे।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (परि.), जोधपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 13</u>
क्षेत्रीय जल योजना, आरजीएलसी [illegible]-पेयड़ा-चेराई तहसील ओसियां (जिला जोधपुर) की प्रशासनिक स्वीकृति (अनु. लागत रू. 367.58 करोड़) तथा योजना की विस्तृत अभियान्त्रिकी के कार्य की वित्तीय स्वीकृति (अनुमानित लागत रू. 3.25 करोड़)

एजैन्डा बिन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों के आधार पर विचार विमर्श किया गया। मा. मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये, विचार विमर्श के उपरान्त, प्रस्ताव की अनुमानित लागत 367.58 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना की विस्तृत अभियान्त्रिकी हेतु अनुमानित लागत 325.40 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति ए.आर.डबलू.एस.पी. मद में जारी किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उक्त परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रस्ताव बनाकर, वित्त विभाग को पत्रावली पर भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 14</u>
[illegible]

एजैन्डा बिन्दु पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणियों के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार

स्वीकृति (अनु. लागत रू. 270.80 करोड़)

विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव की अनुमानित लागत 270.80 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त परियोजना के लिये एवं विस्तृत अभियान्त्रिकी के कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के प्रस्ताव बनाकर, वित्त विभाग को पत्रावली पर भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (परि.), जोधपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 15</u>
राजस्थान राज्य में वर्षा कम होने से, पेयजल व्यवस्था हेतु आकस्मिक योजना, 2009 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 213.25 करोड.)

आकस्मिक योजना 2009 (प्रथम चरण) की पत्रावली पर अनु. लागत 213.25 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की समिति द्वारा पुष्टि की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जल परिवहन की राशि का व्यय सी.आर.एफ. के तहत ही किया जायेगा एवं ना ही इस राशि को अन्य कार्यो में स्थानान्तरित किया जावेगा।

(कार्रवाई सभी मुख्य अभियन्ताओं एवं अति. मुख्य अभियन्ताओं द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 16</u>
जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में विभिन्न प्रकार के पाईपों के उपयोग की नीति का अनुमोदन

एजैन्डा बिन्दु को स्थगित किया गया। उक्त नीति पर पुनः तकनीकी समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त, तकनीकी समिति की स्पष्ट अनुशंषा के साथ आगामी समिति की बैठक में एजैन्डा नोट बनाकर पुनः प्रस्तुत किया जावे।

(कार्रवाई तकनीकी सदस्य द्वारा)

<u>नॉन एजैन्डा बिन्दु-1</u>
पेयजल योजना प्रोजेक्ट आर.जी.एल.सी. 177.5 - तिवरी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ (जिला जोधपुर) की संशोधित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति.

नॉन एजैन्डा बिन्दु पर, मुख्य अभियन्ता (परि.) जोधपुर के प्रस्तुतीकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त, योजना के हैड-वर्क्स को ग्राम तिवरी से ग्राम मंडियाई में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव समिति के विचारार्थ तुरन्त प्रस्तुत किये जावे।

(कार्रवाई मुख्य अभियन्ता (परि.), जोधपुर द्वारा)

<u>अन्य निर्णय</u> :
समिति की बैठक में विभिन्न एजैन्डा बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान, निम्नानुसार सामान्य निर्णय भी लिये गये :-

1. समस्त चालू वृहद योजनाओं के सम्भावित कुल लागत का तकमीना बनाकर नीति निर्धारण समिति की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जावे।
2. योजनाओं के स्वीकृत कार्य एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों का विवरण, पविभागीय एम.आई.एस.७ पर अविलम्ब डाला जावे एवं जिन कार्यों को उक्त एम.आई.एस.७ पर नहीं डाला जाता है, उन कार्यों हेतु साख सीमा जारी नहीं की जावे।
3. भविष्य में दिनांक 1.10.2009 से साख-सीमा कार्यवार ही जारी की जावेगी।
4. समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले एजैन्डा नोट के अन्तिम अनुच्छेद में, प्रस्तावित कार्य से होने वाले लाभ/सुधार/आउटकम की स्पष्ट व्याख्या अंकित की जावे, ताकि प्रस्ताव की स्वीकृति के समय, उपरोक्त अनुच्छेद को दृष्टिगत रखते हुये ही उचित निर्णय लिया जा सके।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता अपने क्षेत्र की विभागीय सी.एस.आर. एक माह में जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्य में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण,सम्भावित पेयजल समस्या की

143 (64) 154

दृष्टिगत रखते हुये, माननीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न दिशा निर्देश भी दिये गये:-

1. विभाग के सभी नलकूप एवं हैन्डपम्प लगातार चालू रखना सुनिश्चित किया जावे तथा उनके खराब होने पर उन्हें तत्काल ठीक कराया जावे।
2. हैन्डपम्पों की मरम्मत हेतु, सभी खण्डीय भण्डारों में समुचित मात्रा में हैन्डपम्प स्पेयर पार्ट्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रखना सुनिश्चित किया जावे।
3. उच्च गुणवत्ता के सबमर्सिबल पम्प्स की खरीद किया जाना ही सुनिश्चित किया जावे एवं गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जावे।
4. योजनाओं के रखरखाव हेतु आवश्यक सामग्री, यथा - सीआईडी जोईन्ट, पम्प सैट्स इत्यादि की समुचित व्यवस्था, खर्ण्डाय भण्डार में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुये बैठक का समापन किया गया।

सचिव,
राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल,
जयपुर.

क्रमांक : एफ 7(11) पीपीसी-181/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/2009-10/2759-2809 दिनांक : 07-09-09.

निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाई हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं चेयरमैन, पी. पी.सी. जयपुर.
2. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय , जयपुर
5. निजी सचिव शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर.
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर.
8. तकनीकी सदस्य, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर.
9. वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखाधिकारी, राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर
10. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर.
11. मुख्य अभियंता. मुख्यालय/ग्रामीण/ विशिष्ठ परियोजना/ जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर/मुख्य अभियन्ता, (परियोजना), जोधपुर ।
12. मुख्य लेखाधिकारी, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
13. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर/ जोधपुर/ बीकानेर/ अजमेर/ कोटा/ उदयपुर/ भरतपुर/ ड्रिलिंग व हैण्ड पम्प जयपुर/परि.अजमेर/परि. भरतपुर/ बीसलपुर, जयपुर/ शहरी जयपुर / ग्रामीण जयपुर.
14. मुख्य रसायनिज्ञ, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर.
15. अधीक्षण अभियंता व त.स. मुख्य अभियंता, (प्रथम) / ग्रामीण/ तकनीकी सदस्य,
16. अधीक्षण अभियंता मेटेरियल मेनेजमेन्ट जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
17. वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
18. अधिशाषी अभियंता, इन्वेस्टीगेशन सैल/ मोनेटरिंग / तकनीकी सदस्य , (अधिशाषी अभियंता-I/II/III/चतुर्थ), जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
19. आरसीएओ, परचेज आडिट सैल, 2 सिविल लाईन, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
20. रक्षित पत्रावली

सचिव,
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल
जयपुर.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चित्तौड़गढ़

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT, CHITTORGARH

59-B, Bapunagar (W.),
Road No. 5, Sector,
Chittorgarh (Raj.) 312001
Tel. & Fax : 01472 - 246474
E-mail : chit@nhai.org

145

71

15

30

NHAI/PIU/CHT/ Water pipeline/ 73

January 17, 2012

To

The Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Chambal-Bhilwara Project Dn-I,

Bhilwara (Rajasthan)

Sub: NOC proposal for laying of water pipeline along NHAI ROW from Km 284/000 to Km 302/800 (RHS) and a road crossing at 284/000 of NH-76 from Village Salawalla to Ladpura, Distt. Bhilwara in the State of Rajasthan.

Ref: Your office letter no. F ( )/ARM P/2011-12/265 dated 03-12-2011

Sir,

This is with reference to your above mentioned letter and subject submitting the NOC proposal for the water pipe line from Km 284/000 to Km 302/800 (RHS) and road crossing at 284/000 on NH-76 from Salawalla to Ladpura village along NHAI ROW. The proposal has been approved by the competent authority of National Highways Authority of India.

You are requested to deposit a bank guarantee of Rs.10,40,000/- in favour of Project Director NHAI PIU, Chittorgarh (Raj.) so that Agreement may be signed and order may be issued to commence the work at site.

Thanking you

Yours Faithfully

(S.K. ...)

PROJECT DIRECTOR

Copy to: The Chief General Manager, (Tech) NHAI RO Jaipur for information.

Details of payment for [illegible] Bhilwara project forest Clearance (CAMPA charges)

DCF, Mukandara National park kota & DFO Bhilwara

Particulars	Classification according to condition		Rate	Amount	Amount deposited by PHED on dated 31.03.12	Amount deposited by PHED on dated 13.06.13	Amount deposited by PHED on dated 28.09.13	Amount deposited by PHED on dated 27.12.13	Amount Cash on 01.05.2014	Total Amount Deposited	G Total
	DCF(V.L)Kota	DFO, BHI									
a) [illegible] Afforestation [illegible]	445,482.00	173,852.00		619,334.00		484,934.00	134,400.00			619,334.00	
b) [illegible]											
c) [illegible]											
d) [illegible]											
e) [illegible]	295,431,000.00		5%	295,431,000.00	295,417,000.00				14,000.00	295,431,000.00	
f) Additional Charges [illegible]											
g) [illegible]	[illegible]	845,[illegible].00		30,826,587.00		3,003,548.00	8,633,792.00	19,189,247.00		30,826,587.00	
h) [illegible]	[illegible]	[illegible]		7,020,000.00		5,282,550.00	1,737,450.00			7,020,000.00	
	[illegible]	[illegible]		333,896,921.00	295,417,000.00	8,771,032.00	10,505,642.00	19,189,247.00	14,000.00	333,896,921.00	
Details of payment					Rs. 190100000 deposited vide DD No 716054 dtd 31.03.2012 Rs. 105317000 thru RTGS UTR No SBIN112091304325 dtd. 31.03.12	Rs. 8771032 thru UTR No.UCBAH 13164026787 dtd. 13.06.13	Rs. 10505642 thru UTR No.UCBAH 13271052074 dtd. 28.09.13	Rs. 19189247 thru RTGS SBBJ NEFT No. 213361032715 dtd. 27.12.13	Rs. 14000 thru Cash, Bhilwara Corp Bank receipt No. 849 dtd 01.05.2014		
Total					295,417,000.00	8,771,032.00	10,505,642.00	19,189,247.00	14,000.00		333,896,921.00

EXECUTIVE ENGINEER
PHED (RAWATBHATA)

146

72

157

calculation	DFO Kota

Net present Value

description	area according to conditions	rate	Amount	Amount deposited by PHED on 13.06.2013	Amount deposited by PHED on 28.09.2013	Amount deposited by PHED on 27.12.2013
NPV in accordance to Hon'ble Supreme court decision (5 times)						
NPV for pipeline in forest area which is in Sanctuary	3.448 ha	887000x5	15291880.00	2158448.00	8633792.00	
NPV for pipeline in Sanctuary area which is not forest area	8622x5= 4.311 ha	887000	3823857.00			
NPV for intake in Sanctuary area which is not forest area	1.75 ha	887000	1552250.00			
NPV for 33 KV HT line in Sanctuary area which is not forest area	10.50 ha	887000	9313500.00			
	Total		29981487.00			

EXECUTIVE ENGINEER
PHED (RAWATBHATA)